

# न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  
 मेहरला बनाम पुष्पन्त (प्रा.ध.)  
 मु. सं. 179/21

14.10.22

आज पत्रावली फेश हुई। प्रार्थीगण एवं उनके वकील के कई बार रुक-रुककर आवाज लावाई गयी किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय सभ्य समाधि से पूर्व भी कई बार आवाज लावाई गयी किन्तु प्रार्थीगण एवं उनके वकील उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को अक्ष होजरी व अक्षम पैरवी में खोज किया जाता है। दिनांक 14.12.21 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध जरी अर्थात् निषेधाज्ञा निस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार दोस्त दायित्व दफ्तर हो एवं मूल बाद खलज रहे।  
 आदेश सुनाया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 महवा जिला दौरा